प्रत्नकीर्तिंगपावृण्
फा. सं०- 19/रा. भा. /2021-7098748- 2066
अधीक्षण पुरातत्वविद् कार्यालय
भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, कोलकाता मंडल,
सी.जी.ओ. काम्प्लेक्स, चौथा तल, सेक्टर-1
साल्ट लेक सिटी, कोलकाता-64
दूरभाष सं: (033) 2334-4389 (T.F.)/2334-3775
ई-मेल: circlekol.asi@gmail.com

दिनांक: 13 NOV 2026

कार्यालय आदेश 203

विषय: राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) एवं राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11 के अनुपालन के संबंध में।

संस्कृति मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 27.10.2026 तथा गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 21.10.2026 के अनुपालन में इस कार्यालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निम्नलिखित निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया जाता है:

1. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी 14 प्रकार के दस्तावेज (संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएँ, प्रशासनिक एवं अन्य प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्तियाँ, संविदाएँ, करार, अनुज्ञप्तियाँ, अनुज्ञा पत्र, निविदा प्ररूप, नोटिस, संसद के समक्ष रखे जाने वाले कागजात, प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन) अनिवार्य रूप से हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए जाएँ।
2. कार्यालय की वेबसाइट को द्विभाषी रूप में अद्यतन रखा जाए।
3. कार्यालय के सभी मैनुअल, संहिताएँ, प्रक्रिया संबंधी साहित्य हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में द्विभाषिक रूप में प्रकाशित करना एवं रजिस्टरों के प्ररूप और शीर्षक हिंदी और अंग्रेजी मे होना, साथ ही नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्र शीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार की जाए तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

अतः सभी अनुभागाध्यक्षों एवं संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें।

(डॉ. दि. ब्र. गड़नायेक)
अधीक्षण पुरातत्वविद्

प्रति:

1. समस्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, कोलकाता मण्डल।
2. कार्यालय आदेश पुस्तक।
3. कार्यालय वेबसाइट।

प्रत्नकीर्तिमपावृणु

सं॰ -19/रा. भा. /2021-7098748 – 2066

Government of India
Office of the Superintending Archaeologist
Archaeological Survey of India, Kolkata Circle,
C.G.O. Complex (4th Floor)
Block-DF, Sector-1, Salt Lake City, Kolkata-700064
Phone: (033) 2334-4389 (T.F.)/2334-3775
Email: circlekol.asi@gmail.com

Office Order No- 203 Date : 13 NOV 2026

Subject: Compliance with Section 3(3) of the Official Languages Act, 1963 and Rule 11 of the Official Languages Rules, 1976.

In compliance with the Office Memorandum dated 27.10.2026 issued by the Ministry of Culture and the Office Memorandum dated 21.10.2026 issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, all officers and employees of this office are hereby directed to ensure strict compliance with the following instructions:

1. All 14 categories of documents covered under Section 3(3) of the Official Languages Act, 1963 (Resolutions, General Orders, Rules, Notifications, Administrative and Other Reports, Press Releases, Contracts, Agreements, Licenses, Permits, Tender Forms, Notices, Papers to be laid before Parliament and Administrative and Other Reports) shall invariably be issued in both Hindi and English.
2. The office website shall be kept updated in bilingual form.
3. All manuals, codes and procedural literature of the office shall be published bilingually in both Hindi and English. The formats and headings of registers shall also be in both Hindi and English. Further, inscriptions and writings on nameplates, notice boards, letterheads, envelopes and stationery shall be prepared in both Hindi and English. Full compliance with Rule 11 of the Official Languages Rules, 1976, shall be ensured.

All Section Heads and concerned officers/employees are hereby directed to ensure that the above instructions are duly complied with.

(Dr. D. B. Garnayak)
Superintending Archaeologist

To:

1. All officers/officials/sections ASI, Kolkata Circle.
2. Office Order Book.
3. Office Website.